

**मांग संख्या 78**  
**मुख्य शीर्ष 2851**

**मद क्रमांक 1**

राज्य शासन के निर्णयानुसार टसर विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियों राशि रूपये 10.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4851**

**मद क्रमांक 2**

राज्य शासन के निर्णयानुसार टसर विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 25.00 लाख की व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।